

फा.सं.1/222(34)/2016-भ.॥/एसपीसी-1

फा.सं.1/223(35)/2016-भ.॥/एसपीसी-1

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती शाखा

विशेष प्रकोष्ठ-1 अनुभाग

विषय : निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण:-

- कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक अभियोजक के 47 पदों पर भर्ती [विज्ञापन सं. 19/2016, प्रकाशन की तारीख 22.10.2016, रिक्ति सं.16101906222, मद सं. 06, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.11.2016 को 23.59 बजे तक थी।] और
- कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सहायक लोक अभियोजक के 15 पदों पर भर्ती [विज्ञापन सं. 19/2016, प्रकाशन की तारीख 22.10.2016, रिक्ति सं.16101907222, मद सं. 07, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.11.2016 को 23.59 बजे तक थी।]

समय सारणी

भारतीय मानक समयानुसार तिथि तथा दिन		विषय एवं विषय का कोड
25.11.2017 को पूर्वाह्न 09.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे तक (शनिवार) ऊपर उल्लिखित पदों हेतु कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण:-		
कार्यकलाप का विवरण	समय	विधि (01)
उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करने का समय	पूर्वाह्न 8.00 बजे	
प्रवेश पत्र का प्रमाणीकरण और उम्मीदवारों का पंजीकरण	पूर्वाह्न 8.00 बजे से	
लैब में उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति	पूर्वाह्न 8.00 बजे से	
मुख्य द्वार पर उम्मीदवारों का प्रवेश बंद होने का समय	पूर्वाह्न 8.45 बजे	
पासवर्ड की घोषणा	पूर्वाह्न 9.20 बजे	
उम्मीदवार सुरक्षित ब्राउजर को खोलेंगे और अनुदेश पढ़ेंगे	पूर्वाह्न 9.20 बजे से पूर्वाह्न 9.30 बजे तक	
परीक्षण प्रारंभ होने का समय	पूर्वाह्न 09.30 बजे	
परीक्षण समाप्त होने का समय	पूर्वाह्न 11.30 बजे	
उम्मीदवार शांतिपूर्वक बाहर निकलेंगे	पूर्वाह्न 11.30 बजे से पूर्वाह्न 11.45 बजे तक	

उम्मीदवारों के प्रवेश संबंधी अनुदेश

- उम्मीदवार प्रवेश द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े होंगे और शांतिपूर्वक प्रवेश करेंगे।
- प्रवेश करते समय, उम्मीदवार मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाएंगे।
- उम्मीदवारों को परीक्षण स्थलों पर प्रवेश करने की अनुमति होगी और पूर्वाह्न 8.00 बजे से पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा।
- कंप्यूटर लैब में प्रवेश पूर्वाह्न 8.00 बजे प्रारंभ होगा।
- उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में पूर्वाह्न 08.45 बजे के बाद परीक्षण स्थल पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उम्मीदवारों का पंजीकरण पूर्वाह्न 09.00 बजे बंद हो जाएगा।

I. परीक्षण की योजना :

- (क) परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा और अधिकतम अंक 300 होंगे।
- (ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
- (ग) परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।
- (घ) परीक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।
- (ङ) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

II. परीक्षण का पाठ्यक्रम :

1. संवैधानिक कानून
2. भारतीय दंड संहिता और आपराधिक दंड संहिता सहित दण्ड-विधि
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
5. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
6. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम)
7. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (सीवीसी अधिनियम)

महत्वपूर्ण टिप्पणियां :

- (क) उम्मीदवार केवल उसी परीक्षण स्थल पर परीक्षण दें जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण स्थल पर परीक्षण देता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- (ख) लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को पदों हेतु अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- (ग) उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षण दें अर्थात् वे इस बात की पुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

अवर सचिव (एसपीसी-1)
संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों को अनुदेश

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी अनुदेश के उल्लंघन के कारण उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। *(उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिए भर्ती परीक्षण हॉल में साथ लाएं।)*

ई-प्रवेश पत्र :

1. ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल बाद, उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र के पृष्ठ सं. 2 पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपना ई-प्रवेश पत्र साथ लेकर आएंगे। जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेशपत्र पर फोटो स्पष्ट रूप से मुद्रित नहीं है वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश करने के लिए परिवचन सहित अपनी फोटो पहचान का कोई मूल प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि एवं पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ साथ लाएं।

2. ई-प्रवेशपत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इस ई-प्रवेशपत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

3. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि तकनीकी कारणों से ई-प्रवेश पत्र पर उनके नाम का लघु रूप अंकित हो सकता है। इस बारे में आयोग द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट परीक्षा हॉल में अवश्य लाएं।

5. उम्मीदवारों को बायोमीट्रिक प्रणाली में अपना पंजीकरण करना अपेक्षित है, जिससे परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उनका बायोमीट्रिक डाटा रिकार्ड किया जा सके। अतः, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वे अपने हाथों/पैरों पर मेहंदी, स्याही आदि जैसे बाहरी पदार्थ न लगाएं।

6. पंजीकरण के उपरांत उम्मीदवार को लैब संख्या और कंप्यूटर संख्या आबंटित की जाएगी।

डेमो

कंप्यूटर आधारित परीक्षण से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध कंप्यूटर आधारित परीक्षण के नमूने (डेमो) का अध्ययन करें।

परीक्षण लैब के नियम

- परीक्षण के दौरान किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

- किसी भी उम्मीदवार को निरीक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है

- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना नीला अथवा काला पेन तथा अपनी पेंसिल साथ लाएं।
- जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किस्म का कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, सेलुलर/ मोबाइल फोन/ ब्लूटूथ अथवा ऐसे किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों से प्रतिबंध शामिल है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षण लैब में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षण के दौरान अनुदेश

- परीक्षण की अवधि 120 मिनट अर्थात् दो घंटे है ।
- दो घंटे की अवधि वाले कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण देने वाले कतिपय श्रेणियों के विकलांग उम्मीदवारों जैसे लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (एलडीसीपी) वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम 40% अक्षमता) है/दृष्टिहीन या आंशिक दृष्टिहीन उम्मीदवारों, ने यदि ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र में इसका विकल्प दिया है, तो उन्हें स्क्राइब सुविधा के साथ-साथ प्रतिपूरक समय के रूप में 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अर्थात् कुल 40 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा।
- पासवर्ड की घोषणा पूर्वाह्न 9.20 बजे की जाएगी। उम्मीदवार सुरक्षित ब्राउजर खोलेंगे और पूर्वाह्न 09.20 बजे से 09.30 बजे तक अनुदेश पढ़ेंगे। तथापि, उम्मीदवारों को पूर्वाह्न 09.30 बजे से पहले परीक्षण प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही उन्होंने अनुदेश 09.30 बजे से पहले क्यों न पढ़ लिए हों, क्योंकि समय का सामंजस्य सर्वर के साथ बिठाया गया है। उम्मीदवार को परीक्षण के लॉग-इन पृष्ठ पर यूजर आईडी के रूप में अपना अनुक्रमांक तथा निरीक्षक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पासवर्ड एंटर करना होगा ।
- मांग करने पर उम्मीदवारों को कच्चे कार्य के लिए कागज मुहैया कराया जाएगा ।
- परीक्षण में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना निरीक्षक को प्रदान करें। निरीक्षक, परीक्षण में री-लॉगइन करने में उम्मीदवार की मदद करेंगे। इससे परीक्षण वहां से पुनः प्रारंभ हो जाएगा जहां पर रुक गया था।
- सभी प्रश्नों की संख्यात्मक सूची स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित होगी।
- परीक्षण के दौरान “शेष समय” पर ध्यान दें।

- एक बार उत्तर दिए जाने के उपरांत, वह अंतिम होगा। तथापि, परीक्षण के दौरान अंतिम रूप से जमा (फाइनल सबमिशन) किए जाने से पहले कभी भी उत्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें 'क्लियर रिस्पांस' बटन के माध्यम से प्रश्न को अनअटेंड (उत्तर नहीं देना) करना भी शामिल है।
- गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- परीक्षण का समय समाप्त हो जाने के उपरांत आपको उत्तर देने से स्वतः रोक दिया जाएगा और परीक्षण ऑटो-सबमिट (स्वतः जमा) हो जाएगा।
- उम्मीदवार, परीक्षण स्थल पर किसी प्रकार की पुस्तकें, कागज, मोबाइल फोन अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान न लाएं। संघ लोक सेवा आयोग ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- प्रतिरूपधारण (धोखेबाजी के उद्देश्य से किसी और की पहचान अपनाना) वर्जित है।
- उम्मीदवार किसी भी कारण से अन्य उम्मीदवारों से न तो बात करेंगे और न ही किसी भी प्रकार का संवाद करेंगे; ऐसे संवाद को परीक्षण विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- परीक्षण स्थल पर यदि किसी उम्मीदवार के पास अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसे परीक्षण विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षण विनियमों का उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित माध्यम का प्रयोग किया है। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित माध्यम अपनाता है तो उसे इस परीक्षण तथा संघ लोक सेवा आयोग की भावी परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा और/या उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- परीक्षण पूरा होने के उपरांत, उम्मीदवार अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और आपस में बातचीत नहीं करेंगे।
- परीक्षण के लिए आबंटित समय पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
- उम्मीदवार सभी अनुदेशों तथा परीक्षण के पर्यवेक्षक/ निरीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अन्य ऐसे अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं करता है अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करता है अथवा अनुचित आचरण करता है तब उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग अपने विवेकानुसार कोई अन्य उपयुक्त दंड दे सकता है।
- उम्मीदवार, परीक्षण लैब में निरीक्षक/सहायक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर यथापेक्षित आवश्यक तथा सटीक सूचना प्रस्तुत करेगा।

सामान्य

- उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश सर्वथा "अनंतिम" है।
- उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा मान ली गयी है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके

आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गयी प्रविष्टियां आयोग द्वारा सच्ची और सही रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

- उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेज से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों अर्थात् आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता है जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी "अनंतिम" बनी रहती है।
- उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई-प्रवेश पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दी गई नियमावली और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या मांगी गयी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- यात्रा संबंधी खर्च या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।
- आयोग किसी उम्मीदवार के रहने और ठहरने का इंतजाम नहीं करता है।

शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- (i) कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक अभियोजक के 47 पद: 47 पदों में से 03 पद शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित इन 03 पदों में से 02 पद अस्थि विकलांग/चलने में असमर्थ/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दोनों पैर प्रभावित (बीएल) किंतु कोई भी बाजू प्रभावित नहीं अथवा एक पैर प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओएल) अथवा एक बाजू प्रभावित (बाईं अथवा दाईं)(ओए) अथवा एक पैर और एक बाजू प्रभावित (ओएलए) तथा 01 पद नेत्रहीन अथवा कम दृष्टि वाले {अंधता (बी) या आंशिक अंधता(पीबी)} के लिए आरक्षित है। ये पद शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त हैं जैसे अस्थि विकलांग/चलने में असमर्थ/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दोनों पैर प्रभावित (बीएल)किंतु कोई भी बाजू प्रभावित नहीं अथवा एक पैर प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओएल) अथवा एक बाजू प्रभावित (बाईं अथवा दाईं) (ओए) अथवा एक पैर और एक बाजू प्रभावित (ओएलए) तथा नेत्रहीन अथवा कम दृष्टि वाले {अंधता (बी) या आंशिक अंधता (पीबी)} के लिए भी उपयुक्त है।
- (ii) कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सहायक लोक अभियोजक के 15 पद : ये पद शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त हैं जैसे अस्थि विकलांग/चलने में असमर्थ/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दोनों पैर प्रभावित (बीएल)किंतु कोई भी बाजू प्रभावित नहीं अथवा एक पैर प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओएल) अथवा एक बाजू प्रभावित (बाईं अथवा दाईं) (ओए) अथवा एक पैर और एक बाजू प्रभावित (ओएलए) तथा नेत्रहीन अथवा कम दृष्टि वाले {अंधता (बी) या आंशिक अंधता (पीबी)} के लिए उपयुक्त है।

इस चरण में, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रणाली (ओआरए) में उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर ही कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण में प्रवेश प्रदान किया गया है। अतः, जिन उम्मीदवारों ने यह दावा किया है कि वे शारीरिक विकलांग(पीएच) श्रेणी के हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे क्रमशः दिनांक 22.10.2016 को प्रकाशित विज्ञापन सं. 19/2016 (रिक्ति सं.16101906222, मद सं. 06) और दिनांक 22.10.2016 को प्रकाशित विज्ञापन सं. 19/2016 (रिक्ति सं.16101907222, मद सं. 07) में यथाउल्लिखित शारीरिक विकलांगता श्रेणियों में आते हैं। उम्मीदवार यह अवश्य नोट कर लें कि ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने के उपरांत किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि वे अर्हता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मोबाइल फोन/ ब्लूटूथ उपकरण तथा इस प्रकार के अन्य आईटी गैजेट परीक्षण स्थल पर प्रतिबंधित हैं।

F.1/222(34)/2016-R.II/SPC-I

F.1/223(35)/2016-R.II/SPC-I

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
RECRUITMENT BRANCH
SPECIAL CELL-I SECTION

Subject: Combined Computer Based Recruitment Test for:

- (i) 47 Posts of Public Prosecutors in Central Bureau of Investigation, Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions [Advertisement No.19/2016 published on 22.10.2016, Vacancy No. 16101906222, Item No. 06 with closing date of submission of Online Application being 23:59 Hrs. on 10.11.2016] and
- (ii) 15 Posts of Assistant Public Prosecutors in Central Bureau of Investigation, Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions [Advertisement No. 19/2016 published on 22.10.2016, Vacancy No. 16101907222, Item No. 07 with closing date of submission of Online Application being 23:59 Hrs. on 10.11.2016]

TIME TABLE

DATE & DAY INDIAN STANDARD TIME		SUBJECT & SUBJECT CODE
25.11.2017 from 09.30 A.M to 11.30 A.M.(Saturday) Combined Computer Based Recruitment Test for the above mentioned posts		LAW (01)
Activity Description	Time	
Candidates reporting at the Centre venue	08.00 A.M	
Authenticating the ADMIT CARD and registering the candidates	08.00 A.M onwards	
Candidates will be allowed inside the Lab from	08.00 A.M onwards	
Candidates Entry closes at Main ENTRANCE	08.45 A.M	
PASSWORD Announcement	09.20 A.M	
Candidates will open the secure browser & read instructions	09.20 A.M to 09.30 A.M	
TEST START TIME	09.30 A.M	
TEST END TIME	11.30 A.M	
Candidates to move out in an orderly manner	11.30 – 11.45 A.M	

Candidates' Entry Instructions

- Candidates must queue outside the entry gate and enter in an orderly manner.
- While entering, the candidates must show their Admit Cards to the security at the Main Gate.

- Candidates are allowed to enter the Test Venues and registration would start from 08.00 A.M. onwards.
- Entry to Computer Labs starts at 08.00 A.M.
- Candidate's entry shall NOT be allowed into the test venue after 08.45 A.M, under any circumstances.
- The candidates registration closes at 09.00 A.M.

I. Scheme of the Test:

- (a) The test will be of two hours duration and will carry a maximum of 300 marks.
- (b) All questions will carry equal marks.
- (c) The test will be objective type questions with multiple choices of answer.
- (d) The medium of the test will be English only.
- (e) There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of one-third of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question.

II. Syllabus of the Test:

1. Constitutional Law
2. Criminal Law including IPC & CrPC
3. Indian Evidence Act
4. Prevention of Corruption Act
5. Delhi Special Police Establishment Act
6. Information Technology Act (IT Act)
7. Central Vigilance Commission Act (CVC Act)

IMPORTANT NOTES:

(A) The candidate must take the test at the test venue indicated in the e-admit card only. If the candidate appears at any other test venue, his/her candidature is liable to be cancelled.

(b) Shortlisted candidates would be asked to submit the documents in support of their claim for the posts. Their documents will be scrutinized and those candidates who fulfil all the eligibility conditions of the posts shall be called for interview.

(c) The candidates are directed to undertake the recruitment test at their own risk i.e. after verifying that they fulfill the qualifications as prescribed in the advertisement, and their admission to the test is purely 'provisional'.

**UNDER SECRETARY (SPC-I)
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS. VIOLATIONS OF ANY INSTRUCTION WILL RENDER THE CANDIDATE LIABLE TO SUCH ACTION AS THE COMMISSION MAY DEEM FIT TO TAKE. ***(THE CANDIDATES ARE ADVISED TO BRING THIS COPY OF INSTRUCTIONS TO THE RECRUITMENT TEST HALL FOR REFERENCE)***.

e-ADMIT CARD:

1. Immediately on downloading of the e-Admit Card, the candidate should check it very carefully and bring to the notice of the Union Public Service Commission the discrepancies, if any, without loss of time. Special attention may be paid to the subject of the Test. Efforts will be made to upload the revised e-Admit Card(s) at the earliest in case of discrepancies. He/she must read carefully the Important Instructions mentioned on page No. 2 of e-Admit Card. He/she must bring his/her e-Admit Card to the Examination Hall to secure Admission. The candidates who do not have clear photographs on the e-admit card will have to bring two passport size photographs for appearing in the Recruitment Test with an undertaking alongwith original photo identity proof such as Aadhar Card, Driving Licence, Passport, Voter ID etc.
2. The candidate is responsible for the safe custody of the e-Admit Card. In the event of one's e-Admit Card being used by any other person for securing admission to the Test, the onus lies on the candidate to prove that he/she has not secured the service of an impersonator and the candidature will be cancelled and he/she will be liable for disciplinary action.
3. The candidate should note that the name in the e-Admit Card might have been abbreviated due to technical reasons. No correspondence in this regard will be entertained by the Commission.
4. The candidate must bring the Printout of e-Admit Card to the Examination Hall.
5. **The candidates are required to register themselves on Biometric System to capture their Biometric Data for attendance before commencement of the test; therefore, they are advised not to apply any external matters like Mehandi, Ink etc. on their Hands/Feet.**
6. After registration, the candidate would be allocated Lab Number and Computer Number.

DEMO

In order to familiarize themselves with Computer Based Test, the candidates are advised to go through the demo of the Computer Based Test which will be made available on the UPSC website **www.upsc.gov.in**.

TEST LAB RULES

- No candidate will be allowed to leave the Test Lab during the Test.
- No candidate is allowed to leave his/her seat without permission of the invigilator.

ITEMS ALLOWED AND NOT ALLOWED

- The candidates are advised to bring their own pencil and pen containing blue or black ink.
- ELECTRONIC OR ANY OTHER TYPE OF CALCULATORS, LOG TABLES, SLIDE RULES, CELLULAR/MOBILE PHONES/BLUETOOTH OR ANY OTHER EQUIPMENT CAPABLE OF BEING USED AS A COMMUNICATION DEVICE ARE NOT ALLOWED INSIDE THE PREMISES WHERE THE TEST IS BEING CONDUCTED. ANY INFRINGEMENT OF THE ABOVE INSTRUCTIONS SHALL ENTAIL DISCIPLINARY ACTION WHICH MAY INCLUDE BAN FROM FUTURE TEST.
- Candidates are advised not to bring any valuables/costly items to the Test Lab, as safe keeping of the same cannot be assured. The Commission will not be responsible for any loss in this regard.

INSTRUCTIONS DURING THE TEST

- Duration of the Test is 120 minutes i.e. 2 hours.
- Candidates of certain categories of disabilities like candidates with Locomotor disability and Cerebral Palsy (LD/CP) where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of function (minimum of 40% impairment)/Blind or Partially Blind candidates appearing in the CBRT of 2 hours duration shall be allowed compensatory time @20 minutes/hour i.e. Total 40 minutes, apart from allowing the help of scribe, wherever opted for in Online Recruitment Application (ORA) Form.
- Password will be announced at 09.20 A.M. Candidates will open the secure browser & read instructions from 09.20 A.M to 09.30 A.M. However, candidate will not be allowed to start their Test before 09.30 A.M. even if they read instructions before 09.30 A.M. as the time is synchronized with Server. Candidates will have to enter their roll number as user ID and password announced by the invigilator in the Test log-in page.
- Rough worksheets will be provided to the candidates on demand.
- In the event of the Test being disrupted, the candidate should immediately inform the invigilator. The invigilator will help the candidate to re-login to the test. This will start the exam from where it had stopped.
- Numbered list of all questions will appear at the right side of the screen.
- Keep a close watch on "Time Left" while appearing for the test.
- Question once attempted, it would be final. However, answer can be changed at any time during the Test before final submission including un-attempting the question using 'Clear Response' button.
- There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of one-third of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question.
- You will be automatically stopped from answering questions when the time of test is over and the test will auto-submit.

- Candidates should not carry any books, paper, mobile phone or any other electronic item to the test venue. UPSC will not be responsible for the safekeeping of such item.
- Impersonation (to assume the identity of another with intent to deceive) is forbidden.
- Candidates must not, on any pretext whatsoever speak to or have any communication with any other Candidates; such communication will be regarded as a breach of the Test regulations.
- Candidates in the Test venue, who is found to have unauthorized materials in his/her possession, shall be deemed to have indulged in breach of the test regulations. Any breach of test regulations shall be considered to constitute unfair practice. In case any candidate is found to be indulging in unfair practice, he/she will be liable to be debarred from this and future Tests/Exams of UPSC and/or disciplinary action.
- At the conclusion of the test, candidates must remain quietly seated and must not communicate with one another.
- No candidate shall be permitted to leave Test Lab till expiry of the allotted time.
- No candidate shall be allowed to go to the toilet during the last 30 minutes of the Test.
- The candidate must abide by the instructions and such further instructions as may be given by Supervisor/Invigilator of the Test. If the candidate fails to do so or indulges in disorderly or improper conduct, he/she will render himself/herself liable to expulsion from the Test and/or such other punishment as the Commission may deem fit to impose.
- The candidate will furnish such necessary and correct information as may be required from him/her in the Test Lab by the Invigilator/Assistant Supervisor/Supervisor/other persons so authorized.

GENERAL

- **The candidate must note that his/her admission to the Test is strictly "Provisional".**
- The mere fact that an e-Admit Card has been issued to him/her does not imply that the candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his/her application for the Test have been accepted by the Commission as true and correct.
- The candidate must note that the Commission take up the verification of eligibility conditions i.e. age, educational qualifications, community etc. with reference to original documents only of those candidates who qualify in the Recruitment Test. Unless the candidature is formally confirmed by the Commission, it continues to be "Provisional".
- The candidate must also note that if subsequent to the issue of e-Admit Card, ineligibility is detected at any stage before or after the Test or if the conditions prescribed in the Rules and Instructions given in the advertisement or any other additional information/documents called for at any stage are not complied with within the time specified therein, the candidature would be rejected.
- Travelling and other expenses must be borne by the candidate himself/herself.
- The Commission does not make arrangements for boarding and lodging of any candidate.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PH CANDIDATES:

(i) 47 posts of Public Prosecutors in CBI, Department of Personnel & Training, M/o Personnel, Public Grievances and Pensions: Of the 47 posts, 03 posts are reserved for Physically Challenged Persons with disabilities. Of the 03 posts reserved for Physically Challenged Persons with disabilities, 02 posts are reserved for Physically Challenged Persons with disability viz. Orthopaedically Handicapped/Locomotor Disability/Cerebral Palsy with Both Legs Affected but not Arms (BL) or One Leg Affected (Right or Left) (OL) or One Arm Affected (Right or Left) (OA) or One Leg and One Arm Affected (OLA) and 01 post is reserved for Blindness or Low Vision {Blind (B) or Partially Blind (PB)}. The posts are also suitable for Physically Challenged Persons with disability viz. Orthopaedically Handicapped/Locomotor Disability/Cerebral Palsy with Both Legs Affected but not Arms (BL) or One Leg Affected (Right or Left) (OL) or One Arm Affected (Right or Left) (OA) or One Leg and One Arm Affected (OLA) or Blindness or Low Vision {Blind (B) or Partially Blind (PB)}.

(ii) 15 posts of Assistant Public Prosecutors in CBI, Department of Personnel & Training, M/o Personnel, Public Grievances and Pensions: The posts are suitable for Physically Challenged Persons with disability viz. Orthopaedically Handicapped/Locomotor Disability/Cerebral Palsy with Both Legs Affected but not Arms (BL) or One Leg Affected (Right or Left) (OL) or One Arm Affected (Right or Left) (OA) or One Leg and One Arm Affected (OLA) or Blindness or Low Vision {Blind (B) or Partially Blind (PB)}.

At this stage, candidates are being admitted to the Combined Computer based Recruitment Test based on the data furnished by the candidates in the Online Recruitment Application (ORA) system. All the candidates, who have claimed themselves as PH candidates, are, therefore, advised to make themselves sure that they belong to the PH categories as mentioned in the Advertisement No. 19/2016 published on 22.10.2016 (Vacancy No. 16101906222, Item No. 6) and Advt. No. 19/2016 published on 22.10.2016 (Vacancy No. 16101907222, Item No. 7) respectively. The candidates must note that if subsequent to the issue of e-Admit Card, ineligibility is detected at any stage, the candidature would be rejected.

**Mobile Phones/Bluetooth devices and such IT Gadgets are banned in
the test venue**
